

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 46/2019 प्रार्थना पत्र

**उनवान**

1. शैर मोहम्मद आत्मज चांद मोहम्मद मुसलमान निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. सुखलाल आत्मज आसुलाल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा  
2. सुरेश कुमार आत्मज आसुलाल गुर्जर निवासी सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

**विपक्षीगण**

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट**

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

अधिवक्ता प्रार्थी

**निर्णय**

दिनांक 12.06.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में मुझ प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1581 रकबा 1.07 हैक्ट. आराजी संख्या 1582 रकबा 0.07 हैक्ट. आराजी संख्या 1583 रकबा 0.01 हैक्ट. आराजी संख्या 1584 रकबा 0.60 हैक्ट. आराजी संख्या 1585 रकबा 0.37 हैक्ट. आराजी संख्या 3738 रकबा 1.08 हैक्ट. आराजी संख्या 4060 रकबा 0.16 हैक्ट. आराजी संख्या 4063 रकबा 0.22 हैक्ट. कुल कित्ता 8 कुल रकबा 2.58 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 757 पर स्थित हैं। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत हैं। प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों ओर सीमाओ के मुस्तकिल निशानात नहीं होने की वजह से प्रार्थी को काश्त करने काश्त लाभ प्राप्त करने घास आदि काटने में दरिमियान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा संबंधी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थी को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 व 2 प्रार्थी की उक्त आराजियात के चारों तरफ के पडौसी होन से उन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाये गये हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे हैं। प्रार्थी ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 18.01.2019 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढ़ी कराने से इंकार हो गये जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 18.01.19 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 14.03.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी

कार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

### आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम सगरेव पटवार हल्का सगरेव तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में मुझ प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1581 रकबा 1.07 हैक्ट. आराजी संख्या 1582 रकबा 0.07 हैक्ट. आराजी संख्या 1583 रकबा 0.01 हैक्ट. आराजी संख्या 1584 रकबा 0.60 हैक्ट. आराजी संख्या 1585 रकबा 0.37 हैक्ट. आराजी संख्या 3738 रकबा 1.08 हैक्ट. आराजी संख्या 4060 रकबा 0.16 हैक्ट. आराजी संख्या 4063 रकबा 0.22 हैक्ट. कुल कित्ता 8 कुल रकबा 2.58 हैक्ट. भूमि राजस्व खाता संख्या 757 पर स्थित हैं। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 200/- अक्षरे दौ सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1200/- अक्षरे एक हजार दौ सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावे।

गोविन्द सिंह  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 12.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह  
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा